Note for Pad

Sh. Kaptan Singh was an ex-serviceman who retired from Indian Army and joined the Police Department as Special Police Officer (S.P.O.) in 2017. He was on night patrolling duty along with Constable Ravinder in the intervening night of 29th& 30th June, 2020 when they were attacked in Police Post Butana, Sonipat area by criminals and were brutally murdered by them. FIR No. 182 under section 302 IPC dated 30.06.2020 was registered in Police Station Baroda, Sonipat regarding the incident. Late Sh. Kaptan Singh, S.P.O. demonstrated exemplary courage and laid down his life in the line of duty.

A special ex-gratia grant amounting to Rs. 30 lakhs was given to the dependent family by the State Government vide order No. 35/40/2020-1HG-III dated 21.10.2020.

A case for compassionate appointment, as a special case, of Sh. Ankit Nehra son of Late Sh. Kaptan Singh, S.P.O. was sent to the State Government vide memo. No. 13236/W-5 dated 19.10.2020. The proposal was turned down by the Government vide memo. No. 35/66/2020-1HG-I dated 09.04.2021 on the advice of General Administration Department vide U.O. No. 07/11/2021-2GSII dated 05.04.2021 wherein it was advised that the case was not covered under Ex-gratia Policy 2019 or Martyr Policy as Late Sh. Kaptan Singh was not a Government employee. The matter was taken up for reconsideration by the Government by DGP vide DO. No. 16172 dated 13.12.2022. The Government reiterated its earlier decision vide their memo. No. 35/66/2020-1HGIII dated 05.01.2023 that this matter was not covered under Ex-gratia Rules, 2019.

The Government has now decided to appoint Sh. Ankit Nehra as Special Police Officer in place of his late father in recognition of his sacrifice. Instructions have been issued to Commissioner of Police, Sonipat in this regard vide memo. No. 2516/W-5 dated 20.02.2024 (copy enclosed). It has also been decided by the Government to move the case for regular appointment of Sh. Ankit Nehra in relaxation of Rules for fresh consideration by the Government.

नोट फोर पैड

श्री कप्तान सिंह एक पूर्व सैनिक थे जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए और 2017 में विशेष पुलिस अधिकारी (एस.पी.ओ.) के रूप में पुलिस विभाग में शामिल हुए थे। पुलिस चौकी बुटाना, सोनीपत क्षेत्र में वह 29 और 30 जून, 2020 की मध्यरात्रि में सिपाही रविंदर के साथ रात्रि गश्त ड्यूटी पर थे तो अपराधियों द्वारा उन पर हमला किया गया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में थाना बरोदा, सोनीपत में एफ.आई.आर. संख्या 182 धारा 302 आईपीसी के तहत दिनांक 30.06.2020 को दर्ज की गई थी। स्वर्गीय श्री कप्तान सिंह, एस.पी.ओ. ने अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया और कर्तव्य के क्रम में अपना जीवन बलिदान कर दिया।

राज्य सरकार ने उनके आदेश क्रमांक 35/40/2020-1 HG-III दिनांक 21.10.2020 द्वारा आश्रित परिवार को 30 लाख रूपये की विशेष अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान की गई।

इस कार्यालय के यादी क्रमांक 13236/डब्लयु-5 दिनांक 19.10.2020 द्वारा श्री. अंकित नेहरा पुत्र स्वर्गीय श्री. कप्तान सिंह, एस.पी.ओ. के मामले को विशेष मानते हुए उनको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव हरियाणा सरकार को भेजा था। हरियाणा सरकार ने पत्र क्रमांक 35/66/2020-1HG-I दिनांक 09.04.2021 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के अंशा क्रमांक 07/11/2021-2जीएसआईआई दिनांक 05.04.2021 द्वारा दी गई सलाह पर प्रस्ताव खारिज कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह सलाह दी थी कि स्वर्गीय श्री कप्तान सिंह का मामला अनुग्रह नीति 2019 या शहीद नीति के तहत कवर नहीं होता है क्योंकि श्री कप्तान सिंह एस.पी.ओ. सरकारी कर्मचारी नहीं थे। पुलिस महानिदेशक हरियाणा ने अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक 16172 दिनांक 13.12.2022 के माध्यम से सरकार से मामले में पुनर्विचार करने बारे अनुरोध किया गया। सरकार ने अपने यादी क्रमांक 35/66/2020-1HGIII दिनांक 05.01.2023 के माध्यम से अपने पहले के निर्णय को दोहराया कि यह मामला अनुग्रह नियम,2019 के अंतर्गत नहीं आता है।

सरकार ने श्री अंकित नेहरा को उनके स्वर्गीय पिता के बलिदान के सम्मान में उनके स्थान पर एस.पी.ओ नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में इस कार्यालय के यादी क्रमांक 2516/डब्ल्यू-5 दिनांक 20.02.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पुलिस आयुक्त, सोनीपत को निर्देश जारी किये गये हैं। सरकार ने श्री अंकित नेहरा को नियमों में छूट देकर नियमित नियुक्ति प्रदान करने के लिए उनके मामले में नए सिरे से विचार करने बारे मामले को सरकार के पास भेजने बारे भी निर्णय लिया गया है।